न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) बांदीकुई

पीठासीन अधिकारी रामसिंह राजावत आर.ए.एस सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) बांदीकुई

मु.न. 44 / 92,42 / 89 / 30 / 22

न्यायालय हाजा में दर्ज 03 / 2024

दर्ज दिनांक 12.8.2024

निर्णय दिनांक 29.08.2024

उनवान

1. रामलाल
2. गोरधन
3. किशोर
4. गल्लु

} पिसरान बुद्धा

5. नानगा
6. हीरा
7. सीताराम

} पिसराम सुवालाल

8. गैदाराम
9. पांचु राम
10. लल्लुराम

} पिसरान गंगला

11. भोमा पुत्र पालू
12. जैन्या पुत्र बिरजु
13. भौरया
14. मूल्या
15. परस्या
16. रामहेत
17. गोकुल

} पिसरान चन्दा

समस्त जाति माली, निवासी छोकरवाडा, तहसील सिकराय, जिला दौसा।

(वादीगण)

बनाम

हरन्या पुत्र कन्हैया
रामस्वरूप पुत्र कन्हैया
सुरजन पुत्र कन्हैया

समस्त जाति माली, निवासी छोकरवाडा,तहसील सिकराय, जिला दौसा।

. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील सिकराय, जिला दौसा।

(प्रतिवादीगण)

उपस्थितः– श्री विश्राम दयाल अधिवक्ता वादीगण।

निर्णय

दिनांक 29.8.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2024.09.20 16:01:12 IST
Reason: SelfAttested

(दावा इस्तकरार हक खातेदारी व हुक्म इ[illegible])

वाद वादीगण द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण [illegible] (दावा इ[illegible] हक खातेदारी व हुक्म इम्तनाई) न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक [illegible] के न्यायालय में दिनांक [illegible] 1989 को पेश किया गया था। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार [illegible] आराजी खसरा न[illegible] रकबा 24 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 266 रकबा 2 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 26

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with CamScanner

बिस्वा वाके ग्राम कैलाई तहसील सिकराय मे वादीगण द्वारा उदघोषणा इस्तकरार हक वाद बावत, उद्घोषणा एवं विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी। न्यायालय द्वारा दिनांक 27.02.91 को जरिए राजीनामा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् उक्त प्रकरण में रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.03.93 को उक्त प्रार्थना पत्र इस आदेश के साथ निर्णित किया गया कि मुताबिक राजीनामा इस आदेश से फैसल किया जाता है कि डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार सिकराय से पालना डिक्री प्राप्त होने पर पेश हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील एवं पालना प्राप्त होने पर पुनः नम्बर विविध में लिया जाकर दिनांक 29.04.93 को पेश हो।'' उक्त आदेश के बाद पत्रावली में दिनांक 17.03.93 की पालना में दिनांक 09.03.94 को पर्चा डिक्री बनाई गई जो संक्षित में निम्न प्रकार है मुताबिक राजीनामा विवादित आराजीयात ख.न.264 रकबा 24 बीघा 17 बिस्वा एवं 266 रकबा 2 बीघा वाके मौजा कैलाई तहसील सिकराय पर वादीगण को कब्जे अनुसार रामलाल, गोरधन, किशोर, गल्लु, नानगा पि. बुधा , हीरालाल, सीताराम पुत्र सुवालाल को 1/2 हिस्से तथा गैदालाल, पांचूराम , लल्लु पि. गंगला की 1/2 हिस्सा कुल रकबे के 7 बीघा 2 बिस्वा के खातेदार घोषित किये जाने है। वादी न 0 11 रामधन पुत्र भोमा कुल रकबे के 5 बिघा 12 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी न 12 जैन्या पु. बिरजु कुल भूमि के 2 बिघा का शेष कुल भूमि के 12 बीघा 3 बिस्वा पर भौरया ,मुल्या, परत्या, रामहेत व गोकुल पि. चन्दा (वादीगण 13 लगायत 17 हिस्सा 1/2 के एवं प्रतिवादीगण हरन्या, रामस्वरूप व सुरजन 1 लगायत 3 हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर तहसीलदार सिकराय से विभाजन प्रस्ताव हेतु लिखा। पत्रावली उपखण्ड अधिकारी सिकराय के न्यायालय मे विचाराधीन रही उसके बाद न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई न्यायालय में स्थानान्तरित की गई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई ने प्रार्थना आदेश 22 नियम 8 सी.पी.सी का दिनांक 09.01.2012 को खारिज किया जाकर दावा अबैटमेन्ट स्वीकार किया गया था। जिसकी अपील वादीगण द्वारा न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय जयपुर कैम्प दौसा में की गई। माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर उनके निर्णय दिनांक 04.03.2021 द्वारा न्यायालय उपजिला कलक्टर बांदीकुई के आदेश दिनांक 09.01.2012 को अपास्त कर प्रारम्भिक डिक्री 09.03.94 की पालना में तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर पक्षकारान से उक्त विभाजन प्रस्ताव पर प्राप्त आपत्ति का निस्तारण करते हुये प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश न्यायालय उप जिला कलक्टर बांदीकुई को दिये गये। प्रकरण में तहसीलदार सिकराय के पत्रांक 1741 दिनांक 24.06.2024 के द्वारा कुर्रेजात भिजवाये गये। उक्त प्रकरण शीघ्र सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा में प्राप्त हुआ। तहसीलदार सिकराय से निम्न प्रकार कुर्रेजात प्राप्त हुयेः—

क्र.स.	नाम खातेदारान मय पिता/पति	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	किस्म	लगान
1	रामलाल, गोरधन, किशोर, गल्लू, नानगा पि. बुद्धा, हीरालाल, सीताराम पि. सुवालाल हि. 1/2 गेंदालाल, पांचूराम, लल्लु पि. गंगला हि. 1/2 जाति माली निवासी छोकरवाडा खातेदार	1229	0.12	चाही 3	
		1239	0.65	चाही 3	
		1240	0.95	चाही 3	
		1241/1	0.06	चाही 3	
		1242/1	0.02	चाही 3	
	योग	किता 5	1.80		25.20
2	रामधन पुत्र भोमा जाति माली नि. छोकरवाडा खातेदार	1241/2	0.78	चाही 3	
		1242/2	0.38	चाही 3	
		[illegible]	[illegible]	चाही 3	
		1[illegible]	[illegible]7	चाही 3	
	योग	[illegible]	[illegible]2		19.88
3	जेन्या पुत्र बिरजु जाति माली नि. छोकरवाडा खातेदार	1263	0.30	चाही 3	
		1264	0.21	चाही 3	
	योग	किता 2	0.51		7.14

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2024.09.20 16:01:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

Scanned with CamScanner

4	भैरया, मुल्या, परत्या, रामहेत गोकुल पि. चन्दा हि. 1/2 हरन्या, रामस्वरूप, सुरजन पि. कन्हैया हि. 1/2 जाति माली नि. छोकरवाडा खातेदार	1243/2	0.16	चाही 3	
		1244/2	0.18	चाही 3	
		1245	0.32	चाही 3	
		1246	0.26	चाही 3	
		1247	0.27	चाही 3	
		1248	0.13	चाही 3	
		1249	0.13	चाही 3	
		1250	0.13	चाही 3	
		1251	0.13	चाही 3	
		1252	0.24	चाही 3	
		1253	0.01	गै.मु. बारिग	
		1254	0.18	चाही 3	
		1255	0.10	चाही 3	
		1256	0.10	चाही 3	
		1257	0.25	चाही 3	
		1258	0.25	चाही 3	
		1259	0.10	चाही 3	
		1260	0.13	चाही 3	
	योग	किता 18	3.07		42.84

तहसीलदार सिकराय से प्राप्त कुर्रेजात पर पक्षकारान द्वारा आपत्ती पेश नही की गई। तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश कुर्रेजात एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उप तहसीलदार सिकन्दरा का पत्र 04 दिनांक 04.01.2023 न्यायालय मे पेश किया गया था कि विवादित आराजियात साबिक ख.न. 264 रकबा 24 बीघा 17 बिस्वा एवं 266 रकबा 2 बीघा वाके मौजा कैलाई तहसील सिकराय में स्थित है। उक्त साबिक नम्बरो के नये खसरा नम्बरान 1229,1239 लगा. 1260 तथा 1263 व 1264 है। वर्तमान जबान्दी संवत कुर्रेजात के साथ पेश ग्राम कैलाई की जमाबन्दी संवत 2073–2076 खाता संख्या 220 नया पुराना 212 में हरना पुत्र लक्षमण में नाम दर्ज है। जो पूर्ण खाता केन्द्रीय सहकारी बैंक के रहन दर्ज है। जिसमें वादी रामलाल, गोरधन, नानगा पि. बुद्धा गेंदालाल पुत्र गंगला ,रामधन पुत्र भोमा जैन्या पुत्र बिरजू पुत्र चन्दा मूल्या पु. चंदा परत्या पुत्र चन्दा खातेदारान फौत होना बताया है गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि तहसीलदार सिकराय द्वारा वादीगण को बिना खातेदारा दर्ज किये ही कुर्रेजात प्रस्ताव न्यायालय में भिजवाये गये है। तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रस्तावित कुर्रेजात पर पक्षकारान की आपत्ती पेश नही हुई है। तहसीदार सिकराय से प्राप्त कुर्रेजात स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजियात साबिक ख.न. 264 रकबा 24 बीघा 17 बिस्वा एवं 266 रकबा 2 बीघा वाके मौजा कैलाई तहसील सिकराय के नम्बरो के नये खसरा नम्बरान 1229,1239 लगा. 1260 तथा 1263 व 1264 में तहसीलदार सिकराय से प्राप्त कुर्रेजात स्वीकार किये जाते है। तहसीलदार सिकराय मृतक पक्षकारान के वारिसान की जांच कर मृतक पक्षकारान के स्थान पर उनके वारिसान का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे, वादग्रस्त भूमि में वर्तमान में रहन दर्ज है जिसका भार ऋण प्राप्त करने वाले कास्तकार के खाते में रहेगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के हिस्से में आयी भूमि कब्जे कास्त में मजाहमत पैदा न करे। तहसीलदार सिकराय तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे, अंतिम पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। । मेरे द्वारा आज दिनांक 29.08.20[illegible] न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2024.09.20 16:01:12 IST
Reason: SelfAttested

29/8/24
(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
[illegible] कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
बांदीकुई

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

Scanned with CamScanner